



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59631

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 896/2026

एक्स अल्पवयस्क

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता: श्वेता गौर

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, गुलफशा, ओमर ज़ामिन

न्यायालय संख्या - 84

माननीय जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति

सुश्री श्वेता गौर के स्थान पर श्री राम कृष्ण यादव, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 की विद्वान अधिवक्ता सुश्री गुलफशा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो अधिनियम, न्यायालय संख्या 1, गोरखपुर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 212/2025 (शीर्षक किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश दिनांक 02.01.2026 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो थाना गगाहा, जिला गोरखपुर के मुकदमा अपराध संख्या 463/2025, धारा 103(1), 190, 191(2), 191(3) बी.एन.एस. से उत्पन्न हुआ है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि:

- (i) स्वीकार्य रूप से, कथित घटना की तिथि पर आवेदक एक किशोर था जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष, 3 माह और 12 दिन थी; वह 18.08.2025 से जेल में है;
- (ii) आवेदक को झूठा फंसाया गया है;
- (iii) डी.पी.ओ. रिपोर्ट में सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियों के अलावा कोई विशिष्ट या ठोस आपत्ति नहीं उठाई गई है;
- (iv) प्रथम सूचना रिपोर्ट के वृत्तांत और बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज पीड़ित के बयानों में कुछ विरोधाभास है;
- (v) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है;
- (vi) विचारण के शीघ्र संपन्न होने की कोई आशा नहीं है;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(vii) पुनरीक्षणकर्ता अत्यधिक लंबी अवधि से बाल संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध है;

(viii) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 12 के तहत परिकल्पित कोई भी आधार आवेदक को जमानत देने से मना करने के लिए उपलब्ध नहीं है।

(ix) इसलिए, आक्षेपित आदेशों को दोषपूर्ण और कानून के विपरीत होने के कारण चुनौती दी गई है।

(x) पुनरीक्षणकर्ता के सह-अभियुक्तों (जो वयस्क हैं) को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है, क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 2115/2026 (आशुतोष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश दिनांक 21.01.2026, और आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 2354/2026 (सुनील कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) एवं आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 2249/2026 (रामनेवास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश दिनांक 22.01.2026 के द्वारा।

विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण का पुरजोर विरोध किया। यह तर्क दिया गया कि रिपोर्ट की गई घटना सत्य है और यह कहना गलत है कि आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे और/या प्रेरित हैं। साथ ही, जमानत खारिज करने के आदेशों में दर्ज निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि इस पुनरीक्षण को खारिज कर दिया जाए।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि आवेदक एक किशोर है और वह अधिनियम के प्रावधानों के लाभ का हकदार है। अधिनियम की धारा 12 के तहत, एक किशोर की जमानत की प्रार्थना को खारिज किया जा सकता है 'यदि यह विश्वास करने के उचित आधार प्रतीत होते हैं कि किशोर की रिहाई उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ संसर्ग में ला सकती है या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल सकती है या उसकी रिहाई से न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे'।

न्यायालय को यह देखना है कि क्या आक्षेपित निर्णय और आदेशों में दर्ज विद्वान अपीलीय न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड की राय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अधिनियम की धारा 12 उन तीन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिनमें किशोर अपराधी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। ये हैं:-

(i) यदि रिहाई उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ संसर्ग में ला सकती है, या

(ii) उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल सकती है, या

(iii) उसकी रिहाई से न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे?

इस प्रकार, यह काफी हद तक निर्विवाद है कि घटना की तिथि पर आवेदक एक किशोर था; डी.पी.ओ. की टिप्पणियों के आलोक में वह आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक मनोविज्ञान की ओर झुकाव वाला प्रतीत नहीं होता है; उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; वह अत्यधिक लंबी अवधि से निरुद्ध है, विशेष रूप से तब जब विचारण अधिनियम द्वारा परिकल्पित समय सीमा के भीतर समाप्त नहीं हुआ है। अन्यथा भी, धारा 12 में उल्लिखित ऐसा कोई कारक या परिस्थिति मौजूद नहीं प्रतीत होती है जो इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने से वंचित करती हो। आवेदक के पिता उसकी रिहाई पर, उसकी सुरक्षा और कल्याण के संबंध में धारा 12 में व्यक्त वैधानिक चिंताओं को दूर करने का वचन देते हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उपरोक्त के आलोक में, ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष जमानत देने के स्थापित कानूनी सिद्धांतों के साथ संघर्ष में हैं और वे दोषपूर्ण एवं इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत हैं। फलस्वरूप, उन आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता। आक्षेपित आदेश एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। पुनरीक्षणकर्ता-एक्स अल्पवयस्क को उसके प्राकृतिक संरक्षक अर्थात् अशोक (पिता) के माध्यम से उपरोक्त मुकदमा अपराध में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय के संतोष के अनुसार 20,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो जमानतें निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रस्तुत करे:

- (i) पुनरीक्षणकर्ता साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को नहीं धमकाएगा;
- (ii) पुनरीक्षणकर्ता संरक्षक के माध्यम से इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे;
- (iii) पुनरीक्षणकर्ता संरक्षक के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए/269 बी.एन.एस.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है। रजिस्ट्रार (अनुपालन) को एक सप्ताह के भीतर संबंधित बाल संप्रेक्षण गृह को आदेश संप्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

23 मार्च, 2026

बृजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"